पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

मार्च, 2023 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री(पीपी) के तत्वावधान में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा भोपाल में दिनांक 6 मार्च, 2023 को, बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशन संबंधी कार्य का निपटान करने वाले अधिकारियों के लिए एक बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के फील्ड पदाधिकारियों को अपडेट करने के उद्देश्य से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के एक दल ने पेंशन नीतिगत सुधारों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर विभिन्न सत्र आयोजित किए। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के डिजिटल माध्यमों पर सत्र आयोजित किए गए। पेंशनभोगियों की शिकायतों के कारणों का विश्लेषण किया गया और उनकी अनावर्ती सुनिश्चित करने के उपाय सुझाए गए। पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा विकसित किए गए एकीकृत पेंशन पोर्टल को बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा पोर्टल के साथ जोड़ने पर चर्चा की गई। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के महत्व और लाभों पर चर्चा की गई ताकि इसका व्यापक प्रचार किया जा सके क्योंकि ये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में पेंशनभोगियों और बैंकों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जागरूकता कार्यशाला ने बैंक अधिकारियों के लिए एक विशाल क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में कार्य किया।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं कि, ऐसे सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।

सीपेनग्राम्स

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सीपेनग्राम्स पोर्टल पर पेंशन शिकायतों के निपटान में विलंब और लंबित अपीलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक (पीपी) की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	दिनांक
1	गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	03.03.2023
2	पूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा वित्त, गृह मंत्रालय, रक्षा	13.03.2023
3	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग), रक्षा लेखा महानियंत्रक, उच्चतर शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (आर), पोत परिवहन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय	14.03.2023
4	सैन्य कार्य विभाग, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक इलाहाबाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग	15.03.2023

4. इस माह के दौरान, 5946 शिकायतें दर्ज की गई और 4881 का निपटान किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2023 को अंत शेष 4827 है। विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:-

	दिनांक 01/03/2023 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31/03/2023 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3762	5946	4881	2148	4827

भविष्य पोर्टल

5. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

6. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 03.04.2023 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 818 संबद्ध कार्यालयों में 7955 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। दिनांक 03.04.2023 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से 38654 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 193980 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से मार्च, 2023 मास में 3471 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

अनुभव

7. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 9065 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.03.2023 तक 'अनुभव पोर्टल' के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4957 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। मार्च, 2023 मास में अनुभव के 117 आलेख प्रकाशित किए गए हैं।

8. इस विभाग ने 22 नवंबर 2022 से एक राष्ट्रव्यापी वेबिनार श्रृंखला "अनुभव अवार्डी स्पीक" का शुभारंभ किया है। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य संबद्ध हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। इस वेबिनार श्रृंखला में अपने अनुभव साझा करने और अनुभव पोर्टल पर अपने स्वयं के अनुभवों को डालने के लिए दो अनुभव पुरस्कार विजेताओं को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। वेबिनार को मासिक आधार पर आयोजित किया जाता है। श्रृंखला का चौथा वेबिनार दिनांक 23.03.2023 को आयोजित किया गया था। श्री मंजीत कुमार, केंद्रीय सचिवालय सेवा, निदेशक, भारी उद्योग विभाग [अनुभव पुरस्कार विजेता, 2017] और श्री विजय कुमार नायर एस, जीसीएस, स्नातकोत्तर शिक्षक, अंतरिक्ष विभाग [अनुभव पुरस्कार विजेता, 2020] ने अपने अनुभव साझा किए।

संकल्प

9. संकल्प: 'संकल्प' पहल के अंतर्गत विभाग ने अब तक 49 सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श(पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 6972 कर्मचारी लाभांवित हुए।

10. **जेम(GeM) के माध्यम से खरीद**:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मार्च, 2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से 10,76,293/- रुपये की राशि के लिए 35(पैंतीस) आदेश (उत्पादों के लिए आदेश) दिए हैं।

******